मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का फ़ालतू भंडार

*1510. **श्री देवराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तुओं का फालतू भंडार बनाने का निर्णय किया है जिससे कम से कम एक वर्ष तक मूल्य स्थिर रह सके तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख). कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कोई अन्तिम फैसला नहीं किया है।

Electricity to Birla Firms in U.P.

*1511. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Birla Firms are getting electricity at a very cheap rate in U. P. ; and

(b) if so, what is the rate and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) There is only one Birla firm in Uttar Pradesh *viz.* Hindustan Aluminium Corporation Ltd. which gets electricity at a concessional rate.

(b) The rate is 1.997717 paise per kwh for the supply of 55 MW of power. The Government of Uttar Pradesh have indicated that this rate was settled after protracted negotiations during 1959 as at that time it was the highest among the rates at which power had been given to the other aluminium factories in the country.

Supreme Court Judgment on Promotion of I.T.Os.

*1512. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 290 on the 25th May, 1967 and state :

(a) whether the implications of the Supreme Court's judgement on promotion of Income-tax officers have since been examined and decisions taken ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir. Final decision will be taken shortly.

(b) Does not arise.

(c) The judgement raised many further points for decision particularly those relating to methods of calculation and the base for apportionment of quotas, *i.e.*, 'actual recruitment' or 'vacancies'. This has necessitated considerable examination and need for legal advice at different levels.

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की आवास की समस्या

*1513. **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की आवास की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी आवास की समस्या को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के हेतु दिल्ली विकास प्राधिकार के अन्तर्गत कुछ प्लाट आरक्षित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं।